

19.9.22 कोई अपाखित नहीं। अपीलानुसार एवे
अपे वकील अपाखित नहीं। उन्हे उई
वार आवाज लगाई गई। कोई हाजिर
जवाब नहीं आया। अतः अपील अपीलानुसार
आदम हाजिरी आदम पैरवी मे श्वारिज
किया जाता है। पञ्चावली फैसलानुसार
मेकर दाखिल दफ्तर है।

मखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)